



-प्रेस नोट-

दिनांक: 31.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ एवं सर्विलांस पुलिस टीम द्वारा गैर प्रान्त से अवैध हथियारों की तस्करी करने

वाले 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

बरामदगी:-

- 02 देशी पिस्टल .32 बोर
- 02 मैगजीन .32 बोर
- 10 कारतूस .32 बोर
- 04 तमन्चे .315 बोर
- 14 कारतूस .315 बोर
- 03 मोबाइल फोन

➤ **गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम को पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर,**

परिक्षेत्र द्वारा 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार

अवगत कराना है आगामी लोकसभा सामान्य-2024 के दृष्टिगत सहारनपुर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में सोशल मीडिया सैल द्वारा सूचना दी गई कि कुछ अपराधी लोग अवैध हथियार लाकर उत्तराखण्ड/उत्तरप्रदेश के बोर्डर के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सप्लाई/खरीद फरोख्त कर रहे हैं। और इन अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से की जा रही है इन हथियारों का उपयोग कर भविष्य में कोई गम्भीर घटना कारित की जा सकती है। जिस कारण चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त सूचना के क्रम में अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में पुलिस टीम गठित कर दिशा निर्देश दिए गये, आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बिहारीगढ के कुशल नेतृत्व में थाना बिहारीगढ पुलिस एवं सर्विलांस पुलिस टीम सहारनपुर की संयुक्त कार्यवाही एवं मुखबिर की सूचना पर गैर प्रान्त से अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले चार शातिर अभियुक्त **1.अमन मलिक पुत्र मन्जूर हसन नि0 ग्राम नगला खिताब थाना लक्सर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड 2.रितिक उर्फ कार्तिक पुत्र मैनपाल निवासी लाखनौर थाना नागल जनपद सहारनपुर 3.सूर्याश पुत्र विपिन निवासी पंत विहार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर और 4. मनोज कुमार पुत्र सूरजमल निवासी ग्राम बेलडा जुनारदार थाना नागल जनपद सहारनपुर** को भारी मात्रा में अवैध शस्त्रों के साथ **सुन्दरपुर तिराहे पर निर्माणाधीन हाईवे के पुल के नीचे**, नजदीक इन्टर स्टेट बोर्डर मोहण्ड क्षेत्र से दिनांक 30.03.2024 को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना बिहारीगढ पर **मु0अ0सं0 62/2024 धारा 3/8/25(8) आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तारशुदा चारों अभियुक्तगणों ने पूछताछ पर संयुक्त रूप से बताया कि हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम व टेलीग्राम आदि के माध्यम से अवैध हथियारों की खरीद/फरोख्त करते हैं। 01 पिस्टल/रिवाल्वर की कीमत 40 हजार रुपये तथा 01 तमंचे की कीमत 10 हजार रुपये में बेचते हैं। हम लोगों में अमन मलिक हरिद्वार किसी माध्यम से पिस्टल व तमंचा लाता है जिनकी फोटो हम सोशल मीडिया में बनाये गये ग्रुपों में डालकर व परिचित अपराधियों को भेजकर बेचते थे। अवैध हथियारों को हम गैर प्रान्त उत्तराखण्ड से खरीदकर, उत्तराखण्ड व उत्तरप्रदेश के बोर्डर के आसपास के क्षेत्र में बेचकर धन अर्जित कर लेते हैं। तथा जो धन मिलता है उसे हम आपस में बाँट लेते हैं। हम लोगो **उत्कर्ष फाइनेन्स बैंक** जो लक्सर से 20 किलोमीटर आगे जगजीतपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड में है, को लूटने की योजना बना रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता:-

1. अमन मलिक पुत्र मन्जूर हसन नि0 ग्राम नगला खिताब थाना लक्सर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड
2. रितिक उर्फ कार्तिक पुत्र मैनपाल निवासी लाखनौर थाना नागल जनपद सहारनपुर
3. सूर्याश पुत्र विपिन निवासी पंत विहार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
4. मनोज कुमार पुत्र सूरजमल निवासी ग्राम बेलडा जुनारदार थाना नागल जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 02 तमंचे 315 बोर व 07 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 मोबाइल (अमन मलिक)
- 01 देशी पिस्टल व 04 जिन्दा कारतूस .32 बोर, 01 देशी तमंचा व 3 जिन्दा कारतूस 315 बोर (रितिक)
- 01 देशी पिस्टल व 06 जिन्दा कारतूस .32 बोर, 01 मोबाइल (सूर्याश)
- 01 देशी तमंचा व 04 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 मोबाइल (मनोज)

अभियुक्त सूर्याश का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 153/2022 धारा 323/324 भादवि थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 62/2024 धारा 3/8/25(8) आर्म्स एक्ट थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

अभियुक्त मनोज, अमन मलिक व रितिक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

- मु0अ0सं0 62/2024 धारा 3/8/25(8) आर्म्स एक्ट थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री योगेन्द्र कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री रोबिन सिंह थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
4. है0का0 विनित हुड्डा सर्विलान्स सैल सहारनपुर
5. है0का0 मोहित कुमार सर्विलान्स सैल सहारनपुर
6. का0 2331 लवलेश थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

7. का0 1557 गौरव थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
8. का0 1377 रवि कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
9. का0 2514 रणजीत कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
- 10.का0 1873 विक्रान्त कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
- 11.का0 2474 प्रताप सिंह थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 31.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 देशी

तमंचा 0.32 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 0.32 बोर बरामदा

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध शस्त्रों के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त **गौरव पुत्र राज कुमार निवासी मौ0 गांधी कॉलोनी बाबालाल दास रोड थाना मंडी सहारनपुर** को मीट मार्केट मौ0 आतिशबंजान से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 देशी तमंचा 0.32 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 0.32 बोर नाजायज बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0-131/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया कि मैंने यह तमंचा और कारतूस मैंने आने जाने वाले एक अन्जान ट्रक ड्राइवर से खरीदे थे किन्तु मुझे उस ट्रक ड्राइवर का नाम पता ज्ञात नहीं है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

गौरव पुत्र राज कुमार निवासी मौ0 गांधी कॉलोनी बाबालाल दास रोड थाना मंडी सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 184/21 धारा 379 /411/420/467/468/471 भा0द0वि0 थाना को0नगर सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 185/21 धारा 414/420/467/468/471भादावि थाना को0नगर सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 187/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना को0नगर सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 131 /24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

- 01 देशी तमंचा 0.32 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 0.32 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 राज कुमार त्यागी थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. है0का0 451 अमित कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. का0 71 बृजवीर राणा थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 31.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर

मय 01 जिंदा कारतूस बरामदा

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध शस्त्रों के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 31.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान एक शातिर अभियुक्त **आलम पुत्र स्व0 फैजान नि0 सिम्भालका जुनारदार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** को ग्राम सिम्भालका जुनारदार की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एक नाजायज तमंचा .315 बोर मय कारतूस बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 61/24 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आलम पुत्र स्व0 फैजान नि0 सिम्भालका जुनारदार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

01 तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

- 1- मु0अ0सं0 113/14 धारा 379/411 भादवि थाना जनकपुरी, सहारनपुर
- 2- मु0अ0सं0 114/14 धारा 379/411 भादवि थाना जनकपुरी, सहारनपुर
- 3- मु0अ0सं0 506/18 धारा 379/411 भादवि थाना को0देहात, सहारनपुर
- 4- मु0अ0सं0 508/18 धारा 379/411 भादवि थाना को0देहात, सहारनपुर
- 5- मु0अ0सं0 99/18 धारा 380/411/457 भादवि थाना जनकपुरी, सहारनपुर
- 6- मु0अ0सं0 191/19 धारा 379/411 भादवि थाना जनकपुरी, सहारनपुर
- 7- मु0अ0सं0 211/19 धारा 379/411 भादवि थाना को0नगर, सहारनपुर
- 8- मु0अ0सं0 262/19 धारा 379/411 भादवि थाना को0नगर, सहारनपुर
- 9- मु0अ0सं0 306/19 धारा 379/411 भादवि थाना को0नगर, सहारनपुर
- 10- मु0अ0सं0 307/19 धारा 379/411 भादवि थाना को0नगर, सहारनपुर
- 11- मु0अ0सं0 311/19 धारा 379/411/414 भादवि थाना को0नगर, सहारनपुर
- 12- मु0अ0सं0 447/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना को0नगर, सहारनपुर
- 13- मु0अ0सं0 201/22 धारा 414/465 भादवि थाना जनकपुरी, सहारनपुर

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 पीयूष कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
2. है0का0 113 विकास थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
3. है0कां0 354 संजीव कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 31.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से

270 ग्राम अवैध चरस बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण व नशा तस्करी आदि की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है । अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 31.03.2024 को गश्त के दौरान अभियुक्त सलमान पुत्र सलीम निवासी विलसन वाला बाग मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को मानकमऊ बस अड्डे से नकुड तिराहे की तरफ कब्रिस्तान के सामने से गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से 270 ग्राम नाजायज चरस बरामद हुयी । बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त सलमान उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 105/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ करने पर अभियुक्त सलमान उपरोक्त ने बताया कि मैं बाहर से सस्ते दामों में चरस लाकर आस-पास व राह चलते लोगो को अधिक दामों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सलमान पुत्र सलीम निवासी विलसन वाला बाग मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त सलमान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु0अ0सं0 185/16 धारा 3/5ए/8 गौवध अधि0 व 11 पशु कुरता अधि0 थाना कोतवली देहात
- 2- मु0अ0सं0 108/22 धारा 30/63 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली मण्डी
- 3- मु0अ0सं0 109/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली मण्डी
- 4- मु0अ0सं0 339/22 धारा 380/411 भादवि थाना सरसावा

बरामदगी का विवरण:-

➤ 270 ग्राम नाजायज चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री अजब सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 138 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
4. का0 1913 राजन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।



दिनांक: 31.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 20 ग्राम

अवैध स्मैक बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण व नशा तस्करी आदि की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा पुलिस चैकिंग के दौरान अभियुक्त **अमजद पुत्र राशिद निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को मय नायाजय 20 ग्राम स्मैक के ग्राम घाटमपुर ईदगाह के पास से बजे गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 97/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम अमजद पंजीकृत किया गया। अभियुक्त जनपद व जनपद के बाहर के थानो से भी पूर्व में भी जेल जा चुका है। अभि0 के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त अमजद ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तथा नशा करने का आदी हूँ मैं अपनी नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए बाहर से स्मैक सस्ते दामों पर लाकर आने वाले लोगों को बेच देता हूँ जिससे मुझे काफी मुनाफा हो जाता है, जिससे मेरा खर्चा चल जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अमजद पुत्र राशिद निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

अभियुक्त अमजद का आपराधिक इतिहास:-

- 1.मु0अ0सं0 339/2022 धारा 376डी,506 भादवि, 5जी,6 पोक्सो एक्ट, 67 आईटी एक्ट चालानी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ,
- 2.मु0अ0सं0 390/20 धारा 323,452,504,506 भादवि चालानी थाना नकुड़ सहारनपुर,
- 3.मु0अ0सं0 004/2024 धारा 21/29 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना थानेसर सदर जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा
- 4.मु0अ0सं0 525/23 धारा 21B/29 NDPS Act चालानी थाना यमुनानगर सदर जिला यमुनानगर हरियाणा
- 5.मु0अ0सं0 553/23 धारा 380/454 भादवि चालानी थाना लाडवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा

बरामदगी का विवरण –

➤ 20 ग्राम स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भड़ाना थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 1021 मतीन अहमद थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. का0 81 राहुल राणा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
6. का0 2555 राहुल थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



दिनांक: 31.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध नशीले पदार्थ व इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 31.03.24 को पुलिस चैकिंग के दौरान अभियुक्त तारिफ पुत्र शहीद निवासी ग्राम महमूदपुर थाना सदर जिला यमुनानगर हरियाणा को 12 बोतल रसीला माल्टा देशी शराब हरियाणा के साथ ग्राम शुक्रताल के पास से गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 98/24 धारा 63 आबकारी अधिनियम बनाम तारिफ उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ अपना खर्च चालाने के लिए सस्ते दामों में हरियाणा से शराब लाकर यहा आकर बेच देता हूँ जिससे मुझे काफी मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

तारिफ पुत्र शहीद निवासी ग्राम महमूदपुर थाना सदर जिला यमुनानगर हरियाणा

बरामदगी का विवरण -

12 बोतल रसीला माल्टा देशी शराब हरियाणा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री शिवम चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 971 राशिद थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



दिनांक: 31.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध शस्त्रों के कारोबार की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 31.03.2024 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान एक शातिर अभियुक्त **नदीम पुत्र नूरमौहम्मद निवासी मौहल्ला कानूनगोयान कस्बा व थाना नानौता जिला सहारनपुर** को रजबाहा पटरी कुतुबपुर थाना नानौता से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त नदीम उपरोक्त के कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर व 01 कारतूस जिन्दा 315 बोर नाजायज बरामद हुए। अभियुक्त के विरुद्ध थाना नानौता पर मु0अ0स0 74/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं लोगो पर रौब जमाने व लोगो को डराने धमकाने व गलत काम करने के लिये अपने पास तमन्चा रखता हूँ। यह तमंचा मैंने गंगोह के एक व्यक्ति से खरीदा था जिसका नाम व पता नहीं जानता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नदीम पुत्र नूरमौहम्मद निवासी मौहल्ला कानूनगोयान कस्बा व थाना नानौता जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 तमन्चा 315 बोर
- 01 कारतूस जिन्दा 315 बोर

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0स0 31/2023 धारा 25/4 आयुध अधि0 थाना नानौता सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री लोकेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. HC 250 कविन्द्र कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर



दिनांक: 31.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 150

ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु मादक पदार्थों की रोकथाम एवं इनकी तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सन्दीप कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 31.03.24 को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेडी पुलिस टीम द्वारा एक शातिर चरस तस्कर अभियुक्त **मुस्तकीम उर्फ सोनू पुत्र इकराम ग्राम चांदपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को ग्राम सम्भालकी गुर्जर से चांदपुर वाले रास्ते पर हडवारे तिराहे से 20 कदम ग्राम सम्भालकी गुर्जर की तरफ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त से 150 ग्राम चरस बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना गागलहेडी पर मु0अ0स0 54/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि मैं अनपढ़ हूँ तथा नशा करने का आदी हूँ यह चरस मैं बाहर से सस्ते दामों पर लाकर आस पास के क्षेत्रों में महंगे दामों में बेच देता हूँ। जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मुस्तकीम उर्फ सोनू पुत्र इकराम ग्राम चांदपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 418/19 धारा 5ए/8 सीएस एक्ट थाना गागलहेडी स0पुर
2. मु0अ0स0 128/20 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना गागलहेडी स0पुर
3. मु0अ0स0 188/22 धारा 3/5क/8 सीएस एक्ट थाना गागलहेडी स0पुर
4. मु0अ0स0 189/22 धारा 307 भादवि थाना गागलहेडी स0पुर
5. मु0अ0स0 243/22 धारा 307 भादवि थाना गागलहेडी स0पुर।
6. मु0अ0स0 245/22 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट थाना गागलहेडी स0पुर।
7. मु0अ0स0 372/22 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना गागलहेडी स0पुर।

बरामदगी का विवरण -

➤ 150 ग्राम चरस नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष सन्दीप कुमार थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 विकास सिंघल थाना गागलेहडी जिला सहारनपुर।
3. है0का0 342 आशीष कुमार थाना गागलेहडी जिला सहारनपुर।
4. का0 1345 सुशान्त थाना गागलेहडी जिला सहारनपुर।



दिनांक: 31.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01

नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध शस्त्रों की रोकथाम व इसके कारोबार संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 31/03/24 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा एक शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **अब्दुल्ला उर्फ गुड्डू पुत्र जाहिद निवासी अमजद कबाडी के पास नूर बस्ती थाना कोतवाली नगर सहारनपुर** उम्र 20 वर्ष को पारसपुरम गेट न0 5 के सामने से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से एक चाकू बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली नगर सहारनपुर पर मु0अ0सं0 70/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अब्दुल्ला उर्फ गुड्डू पुत्र जाहिद निवासी अमजद कबाडी के पास नूर बस्ती थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

➤ 01 नाजायज चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. है0का 122 0संजय सिंह थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
3. कातरुण शर्मा 296 0 थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 31.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 310 ग्राम

नाजायज चरस व 01 नाजायज छुरा बरामदा

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु नशा तस्करी एवं अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 31.03.2024 को गश्त के दौरान अभियुक्त मेहरबान उर्फ सन्नाटा पुत्र कय्यूम निवासी नदीम कालौनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को नसीर कालौनी के पास कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 310 ग्राम नाजायज चरस व एक छुरा बरामद हुए। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त मेहरबान उर्फ सन्नाटा उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 106/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 4/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त मेहरबान उर्फ सन्नाटा उपरोक्त ने बताया कि मैं बाहर से चरस लाकर आस-पास व राह चलते लोगो को अधिक दामों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है तथा छुरा मैं अपनी सुरक्षा के लिये और लोगो को डराने धमकाने के लिए रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मेहरबान उर्फ सन्नाटा पुत्र कय्यूम निवासी नदीम कालौनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु0अ0सं0 329/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
- 2-मु0अ0सं0 268/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
- 3-मु0अ0सं0 402/18 धारा 4380/411/457 भादवि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
- 4-मु0अ0सं0 492/18 धारा 380/411 भादवि थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
- 5-मु0अ0सं0 515/18 धारा 380/411 भादवि थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 310 ग्राम नाजायज चरस
- 01 नाजायज छुरा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

5. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
6. उ0नि0 श्री सचिन पूनिया थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
7. है0का0 388 कपिल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
8. का0 2478 पवन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 31/03/2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात, पुलिस द्वारा 02 वांछित हत्यारोपी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से हत्या में

प्रयुक्त एक चाकू व एक लोहे की चकरी (फ्री व्हील) बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 29.03.2024 को वादिया श्रीमती शायरा पत्नी चांद निवासी दानिश कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ने थाने आकर लिखित सूचना दी कि अभियुक्तगण **1. अनस पुत्र फैजान 2. इरशाद पुत्र नामालूम 3. चाँद पुत्र फैजान 4. समीर पुत्र मौ0 शमी 5. समील पुत्र मौहम्मद शमी समस्त निवासीगण दानिश कालोनी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर** ने एक राय होकर वादिया के पुत्र **अदनान उम्र करीब 18 वर्ष** उसके मित्र **मिजान** को जान से मारने की नियत से लोहे की राड व चाकू से हमला कर देना जिससे इलाज के दौरान वादिया के पुत्र अदनान की मृत्यु हो गयी तथा उसके मित्र मिजान घायल हो गया है। वादीया की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर **मु0अ0स0 142/24 धारा 147/148/149/302/323/307 भादवि** बनाम अनस आदि 5 नफर उपरोक्त के पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना के नामित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु सम्बन्धित को आदेश – निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सत्येन्द्र प्रकाश सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुखविर की सूचना पर अभियुक्त **1. अनस पुत्र फैजान 2. समीर पुत्र मौहम्मद शमी निवासीगण दानिश कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को ग्राम मढ को जाने वाले तिराहे पर जनता रोड से गिरफ्तार किया गया। जिनकी निशा देही से सड़क के किनारे बने कब्रिस्तान के पास बने एक प्लाट की दीवार के पास से घटना में प्रयुक्त छुरी व लोहे की चकरी बरामद किये गये

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 29/03/24 को दिन मे दोपहर को हम दोनो की कहासुनी मौहल्ले के ही रहने वाले मिजान पुत्र परवेज तथा अदनान पुत्र चाँद से हो गयी थी। इसी बात को लेकर उसी दिन शाम को समय करीब 07.45 हम जिम वाली गली मे पहुँचे तो अदनान व मिजान दोनो अबरार की दुकान पर खडे दिखाई दिए। उस समय अनस के हाथ मे छुरी तथा मेरे हाथ मे लोहे की चकरी (फ्री व्हील) था। हमने मिजान व अदनान के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी तो मिजान व अदनान, अबरार की दुकान से जिम वाली गली की तरफ भागे। फिर हमने डाक्टर समीर की दुकान के सामने इन दोनो को पकड लिया। अनस ने अपने हाथ मे लिए छुरी को अदनान के पेट मे मार दी। अदनान वही पर गिर पड़ा और फिर हमने अदनान व मिजान पर चकरी व छुरी के कई हमले किए और वहाँ से बेहट रोड की तरफ भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तका नाम व पता:-

1. अनस पुत्र फैजान निवासी दानिश कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. समीर पुत्र मौ0 शमी निवासी दानिश कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- एक चाकू
- एक लोहे की चकरी (फ्री व्हील)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र०नि० सत्येन्द्र प्रकाश सिंह थाना कोतवाली देहात सहारनपुर ।
2. व०उ०नि० सुनील कुमार शर्मा थाना कोतवाली देहात सहारनपुर ।
3. है०का० 96 अनुज कुमार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर ।
4. है०का० 843 विवेक कुमार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर ।
5. का० 1487 जयकुमार थाना कोतवाली देहात सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 31.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर सहारनपुर पुलिस द्वारा एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार किया गया, कब्जे से 01 तमंचा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा 440500 रुपये बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध अस्लहों की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 31.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त **दिलशाद पुत्र शमशाद निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** कासमपुर पुलिया से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 देशी तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस तथा 4,40,500 रुपये बरामद किये गये। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर **मु0अ0सं0 62/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने यह तमन्चा आने जाने वाले ट्रक ड्राईवर से खरीदा था और इस तमन्चे को मैं अपने गांव वाले लोगों व अपने दोस्तों में रोब जमाने के लिये रखता हूं। बरामद रूपयों के सम्बन्ध में कोई सतोषजनक जवाब नहीं दे पाया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

दिलशाद पुत्र शमशाद निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

- 01 देशी तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 4,40,500 रुपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 यशपाल सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. हेका0 424 संजय धामा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. हेका0 891 अमित राठी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक 31 - 03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा ,02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण , तथा वारण्टी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रवेश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 31.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त 1.मोनू पुत्र सोमा उर्फ सोमप्रकाश निवासी ग्राम कस्बागढ थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं0 4589/19 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर व 2.राजकुमार पुत्र समेरु निवासी ग्राम महमूदपुर नंगली थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं0 272/20 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी के नाम व पता –

1. मोनू पुत्र सोमा उर्फ सोमप्रकाश निवासी ग्राम कस्बागढ थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. राजकुमार पुत्र समेरु निवासी ग्राम महमूदपुर नंगली थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

पुलिस पार्टी –

1. उ0नि0 नवीन कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
2. हेका0 461 धर्म सिंह थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 31.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन -2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण, वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 31.03.2024 को वाद सं0 2842/22 मु00सं0 09/21 धारा 398/401 भादवि चालानी थाना कुतुबशेर सहारनपुर (माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 11 सहारनपुर) से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त अर्जुन पुत्र महेन्द्र निवासी गली नं0 9 शारदा नगर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता:-

अर्जुन पुत्र महेन्द्र निवासी गली नं0 9 शारदा नगर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का0 272 सन्दीप कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 2033 अजय कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 31.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नजायज तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एवं अवैध शस्त्रों की तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 30.3.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा एक शातिर अभियुक्त **रितिक उर्फ चिन्टू पुत्र जगपाल निवासी सहीराम की गली मौहल्ला नवीननगर थाना सदर बाजार सहारनपुर** को न्यू नवीननगर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से एक नाजायज तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना सदर बाजार पर अभियुक्त के विरुद्ध **मु0अ0सं0 188/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैंने यह तमंचा एक कबाड़ी से खरीदा था, जिसका नाम व पता मैं नहीं जानता हूँ और यह तमंचा मैं अपने दोस्तों व रिश्तेदारों में रोब जमाने के लिये रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रितिक उर्फ चिन्टू पुत्र जगपाल निवासी सहीराम की गली मौहल्ला नवीननगर थाना सदर बाजार सहारनपुर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 234/21 धारा 414/420/465 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

01 तमंचा 315 बोर

01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

- 1 उ0नि0 श्री धीरज सिंह थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. है0का0 1113 अरविन्द थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
3. का0 186 विमल थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 31.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 23 पच्चे देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एवं मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 31/03/24 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा एक शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **सलमान पुत्र यूसुफ निवासी बैरागी वाली गली मौ0 छिपियान थाना कोतवाली नगर सहारनपुर** को खुमरान पुल से बोमन्जी रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 23 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली नगर सहारनपुर पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध **मु0अ0सं0 69/24 धारा 60 आबकारी अधिनियम** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त सलमान उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि साहब मैं यह शराब ठेके से खरीदकर लाता हूँ तथा अपने मौहल्ले में महंगे दामों में बेचकर मुनाफा कमा लेता हूँ। आज भी मैं यह शराब ठेके से खरीदकर बेचने के लिये जा रहा था कि पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सलमान पुत्र यूसुफ निवासी बैरागी वाली गली मौहल्ला छिपियान थाना कोतवाली नगर सहारनपुर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0- 94/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0- 95/22 धारा 8/20 NDPS Act थाना मण्डी सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0- 35/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सदर बाजार सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

23 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 केदार सिंह थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
2. है0कां0 356 नीरज कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 31.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से

01 देशी तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियंत्रण, अवैध शस्त्रों की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा एक शातिर अभियुक्त **बाबर उर्फ भंगी पुत्र मौहम्मद मसकूर कुरैशी निवासी मुजफ्फरी मस्जिद के पास,खाताखेड़ी थाना मण्डी जिला सहारनपुर** को पीपल वाली मस्जिद से पिलखन की ओर खाली पडे मैदान के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 01 देशी तमंचा 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर पर **मु0अ0स0 133/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त बाबर उपरोक्त के द्वारा बताया कि कुछ महीनों पहले मैंने राह चलते एक व्यक्ति से यह तमंचा व कारतूस खरीदे थे। तमंचा दिखा कर मैं लोगों पर रोब गालिब करता हूँ

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

बाबर उर्फ भंगी पुत्र मौ0 मसकूर कुरैशी निवासी मुजफ्फरी मस्जिद के पास,खाताखेड़ी थाना मण्डी जिला सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 537/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मण्डी सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

- ❖ 01 देशी तमंचा 315 बोर
- ❖ 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

- 1.उ0नि0 ज्ञानेन्द्र सिंह थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर।
- 2.कां0 978 विपिन कुमार थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर।
3. कां0 1600 मनोज आर्य थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर।



दिनांक: 31-03-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, पुलिस द्वारा एक शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियन्त्रण, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी गंगोह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 31.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा एक शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **दीपक पुत्र रामपाल नि0 ग्राम गांधीनगर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को लखनौती रोड म्हाडी से आगे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 12 बोतल गैर प्रान्तीय अवैध शराब बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त दीपक उपरोक्त के विरुद्ध थाना गंगोह पर **मु0अ0सं0 120/24 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम** पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त दीपक उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं हरियाणा राज्य से शराब सस्ते दाम पर खरीदकर यहां उ0प्र0 में आस पास के क्षेत्रों में मंहगे दाम पर बेच देता हू, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

दीपक पुत्र रामपाल नि0 ग्राम गांधीनगर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास अभि0 दीपक उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 272/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 156/21 धारा 379/411 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 160/21 धारा 399/402 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 165/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 166/21 धारा 414 भादवि थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0 552/21 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 विरेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
2. है0कां0 322 मोनू चिकारा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
3. कां0 922 वंश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 31-03-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नांगल, पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 320 ग्राम नशीली गोलिया बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में अपराध नियन्त्रण, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी नांगल श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व में थाना नांगल पुलिस द्वारा आज दिनांक 31.03.24 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान पाण्डौली पुल के नीचे से **बी क्लास हिस्ट्रीशीटर नाजिम पुत्र कय्यूम निवासी पाण्डौली थाना नांगल जिला सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से **320 ग्राम नशीली गोलियो** बरामद की गयी। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना नांगल पर **मु0अ0सं0 64/24 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत किया गया। अभियुक्त नाजिम उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं नशे की गोलियों को खरीदकर आने जाने वाले नशे के आदि लोगो को मंहगे दाम में बेच देता हूँ, जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। आज भी मैं यह गोलियां बेचने के लिये जा रहा था कि पुलिस द्वारा मुझे पकड कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नाजिम पुत्र कय्यूम निवासी पाण्डौली थाना नांगल जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

320 ग्राम नशीली गोलिया एल्प्राजोल कम्पनी

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 34/19 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 103/20 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 32/19 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना नांगल जिला सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 32/21 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना नांगल सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 67/21 धारा 3/25 ए एक्ट थाना नांगल जिला सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0 115/23 धारा 3/25 ए एक्ट थाना नांगल सहारनपुर।
7. मु0अ0सं0 181/22 धारा 307 भादवि थाना नांगल सहारनपुर।
8. मु0अ0सं0 182/22 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना नांगल सहारनपुर।
9. मु0अ0सं0 183/22 धारा 3/25 ए एक्ट थाना नांगल सहारनपुर।
10. मु0अ0सं0 275/18 धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट थाना नांगल सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 सचिन त्यागी थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. है0का0 389 जितेन्द्र कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर
4. का0 2440 हरकेश सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर



दिनांक: 31.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 01 जिन्दा कारतूस 315

बोर नाजायज बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण एवं अवैध तस्करी की रोकथाम एवं इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 31.3.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा एक शातिर अभियुक्त **गजेन्द्र उर्फ चिकना पुत्र राकेश धीमान निवासी खलासी लाइन बिहारी लाल का अहाता थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को रेलवे पुल के नीचे स्टेशन की गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से **01 नाजायज तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर** बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त गजेन्द्र उर्फ चिकना उपरोक्त के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर **मु0अ0सं0 190/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरे पास तमंचा रखने का लाईसेन्स नहीं है। मैंने यह तमंचा आने जाने वाले ट्रक ड्राइवर से खरीदा था, जिसका नाम पता मैं नहीं जानता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

गजेन्द्र उर्फ चिकना पुत्र राकेश धीमान नि0 खलासी लाइन बिहारी लाल का अहाता थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 95/2011 धारा 394/411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 121/2011 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 61/2011 धारा 504/506 भादवि0 थाना सदर बाजार सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 213/2011 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

- 1 उ0नि0 श्री धीर सिंह थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. का0 283 हिमांशु थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 31.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल रसीला माल्टा देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अवैध शराब व नशीले पदार्थों की रोकथाम हेतु अभियान चलाया जा रहा है इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 31.03.24 को पुलिस चैकिंग के दौरान **अभियुक्त मुसारिफ पुत्र कामिल निवासी ग्राम महमूदपुर थाना सदर जिला यमुनानगर हरियाणा** को 12 बोतल रसीला माल्टा देशी शराब हरियाणा सहित शाकुम्भरी बिहार कालोनी थाना नकुड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 99/24 धारा 63 आबकारी अधिनियम बनाम मुसारिफ उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त मुसारिफ उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ अपना खर्च चलाने के लिए सस्ते दामों में हरियाणा से शराब लाकर उत्तर प्रदेश में आकर बेच देता हूँ जिससे मेरी अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

➤ मुसारिफ पुत्र कामिल निवासी ग्राम महमूदपुर थाना सदर जिला यमुनानगर, हरियाणा

बरामदगी का विवरण -

➤ 12 बोतल रसीला माल्टा देशी शराब हरियाणा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भड़ाना थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. है0का0 464 प्रवेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
4. का0 2501 प्रताप सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
5. का0 2122 लोकेश कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर



दिनांक- 31.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, पुलिस द्वारा 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से भारी मात्रा में करीब 8 लाख कीमत के अवैध पटाखे/विस्फोटक पदार्थ बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 31.03.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर अभियुक्त 1- अफनान पुत्र सगीर नि0 ग्राम पसौन्डा थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद 2- सुहैल पुत्र रहीसू नि0 ग्राम पसौन्डा थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद को चमारीखेड़ा के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण अफनान व सुहैल उपरोक्त के कब्जे से भारी मात्रा में करीब 8 लाख बाजारी कीमत के अवैध पटाखे/विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 67/24 धारा 5 व 9(ख)(1) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि हम अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ग्राम कुरडीखेड़ा में अवैध रूप से पटाखे बनाते हैं जिनको आज हम बेचने के लिये पिकअप गाड़ी से शहादरा दिल्ली लेकर जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1- अफनान पुत्र सगीर नि0 ग्राम पसौन्डा थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद
- 2- सुहैल पुत्र रहीसू नि0 ग्राम पसौन्डा थाना टीलामोड़ जनपद गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण

- 31 कट्टे कुल 55800 पटाखे
- पटाखे बनाने के उपकरण 03 ड्रम खाली नीले रंग, 01 ड्रम नीला रंग जिसमें सील्लीमेट केमिकल भरा हुआ मात्रा 60 लीटर, 7 प्लास्टिक टब छोटे बड़े अलग अलग रंग, 01 छलना मिश्रण को छानने के लिये, 01 इलेक्ट्रॉनिक तराजू वर्धमान कम्पनी, 35 अदद खाली कट्टे सफेद रंग, 01 कट्टे में कोयला पिसा हुआ 5 किलो, 01 सफेद कट्टे में ज्वलनशील पदार्थ मिश्रण जिसका कुल वजन 13.5 किग्रा, 01 कट्टे में पटाखो को पैक करने की पन्निया 20 बन्डल
- 01 महिन्द्रा पिकअप रजि0 DL1LAH3237

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. है0का0 738 विनोद कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 31.03.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्वकुशल नेतृत्व में दिनांक 31.03.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी **गुलशन कुमार पुत्र अगर सिंह निवासी ग्राम रामखेड़ी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** एनबीडब्ल्यू सम्बन्धित वाद संख्या 2796/2023 धारा 138 एनआई एक्ट को उसके घर से गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार वारण्टी के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी का नाम व पता –

1. गुलशन कुमार पुत्र अगर सिंह निवासी ग्राम रामखेड़ी थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 यमुना प्रसाद थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. का0 2439 सैफ अली थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



दिनांक- 31.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

**थाना चिलकाना ,सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार,
कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम व अवैध शराब की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अभियुक्त कुर्बान पुत्र शकील निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना सहारनपुर को दिनांक 31.03.2024 सुल्तानपुर तिराहा से 20 लीटर शराब खाम (कच्ची शराब) के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 079/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं यह शराब सस्ते दामों में खरीदकर आस पास के लोगों को उँचे दामों में बेचकर अच्छे पैसे कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

➤ कुर्बान पुत्र शकील निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना सहारनपुर ।

बरामदगी-

➤ लीटर 20 कच्ची शराब (शराब खाम)

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 185/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 79/2024 धारा- 60 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:

1. उ0नि0 श्री करन नागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
2. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना सहारनपुर ।



दिनांक- 31.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त गिरफ्तार को किया गया गिरफ्तार कब्जे से 22 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम व अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व चिलकाना पुलिस द्वारा अभियुक्त तैय्यब उर्फ तोय्यब पुत्र इकबाल निवासी पीर माजरा फिरोजाबाद थाना चिलकाना सहारनपुर को दिनांक 31.03.2024 अब्दुल्लापुर अहाडी कट से 22 ग्राम नाजायज स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी अभियुक्त थाना चिलकाना रा प्रचलित हिस्ट्रीशीटर है अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 78/2024 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं ज्यादा पढा लिखा नहीं हूँ मेरे पास कोई काम नहीं है मैं दूसरे राज्यों से सस्ते दामों में स्मैक खरीदकर आने जाने वाले लोगों को महंगे दामों में बेचकर पैसा कमाता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्तका नाम पता:-

तैय्यब उर्फ तोय्यब पुत्र इकबाल निवासी पीर माजरा फिरोजाबाद थाना चिलकाना सहारनपुर। (एच0एस017ए)

बरामदगी का विवरण

- 22 ग्राम नाजायज स्मैक

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 167/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 26/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 347/22 धारा 414/420 भादवि थाना सरसावां स0पुर
4. मु0अ0सं0 266/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 185/23 धारा 379/411 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 185/23 धारा 379/411 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 78/24 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:

1. उ0नि0 श्री करन नागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. का0 2056 शुभम सिरोही थाना चिलकाना सहारनपुर



दिनांक- 31.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना ,सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व चिलकाना पुलिस द्वारा वारण्टी इनाम उर्फ मूला पुत्र जफर निवासी ग्राम दुमझेडी थाना चिलकाना सहारनपुर सम्बन्धित एनबीडब्ल्यू वाद सं0 2436/23 41/102/414/467/468/471 भादवि चालानी थाना चिलकाना को उसके घर ग्राम दुमझेडी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

➤ इनाम उर्फ मूला पुत्र जफर निवासी ग्राम दुमझेडी थाना चिलकाना सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 विनोद कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर ।
2. का0 2235 मुकेश कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर ।



दिनांक- 31.03.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 40 लीटर कच्ची शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व चिलकाना पुलिस द्वारा आज दिनांक 31.03.2024 को को अभियुक्त अकरम पुत्र राशिद निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना सहारनपुर को फिरोजाबाद-अब्दुल्लापुर अहाडी वाले कट से 40 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0स0 075/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं पढा लिखा नहीं हू मेरे पास कोई काम नहीं है मैं कच्ची शराब सस्ते दामो में लाकर आस पास के लोगो के मंहगे दामो में बेच देता हू जिससे मेरी अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

➤ अकरम पुत्र राशिद निवासी ग्राम फिरोजाबाद थाना चिलकाना सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण

➤ 40 लीटर कच्ची शराब

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 74/24 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 75/22 धारा- 363/376/506 भादवि व 3/4 पाक्सो अधिनियम थाना चिलकाना

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ0नि0 श्री करन नागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
2. का0 2056 शुभम सिरोही थाना चिलकाना सहारनपुर ।